मॉड्यूल 6: किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल देखरेख संस्थान

सत्र 2: विभिन्न बाल देखरेख संस्थानों के कार्य करने की प्रक्रिया

अवधि: 7:02 मिनट

संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों की कुछ मुख्य बातें निम्नवत हैं

- **बच्चे का सर्वोत्तम हित:** वैकल्पिक देखरेख बच्चे के सर्वोत्तम हित में होना चाहिए।
- **आवश्यकता और उपयुक्तता का सिद्धान्त:** वैकल्पिक देखरेख का चयन तभी किया जाना चाहिए जब वह आवश्यक हो, बच्चे की स्थिति एवं व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप वैकल्पिक देखरेख पर विचार किया जाना चाहिए।
- **समता और देखरेख:** हर प्रकार की वैकल्पिक देखरेख सेवाओं में बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए तथा पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **पहरेदारी (**Gate Keeping**):** संस्थान में बच्चों के आने–जाने के प्रवाह के नियमन के लिए कदम उठाना।
- **निषेधात्मक कार्रवाई और परिवार को सुरक्षित रखना:** परिवारों को सुरक्षित रखकर तथा सशक्त बनाकर संस्थानीकरण की रोकथाम करना।
- **विसंस्थानीकरण एवं पुनर्एकीकरण:** जो बच्चे संस्थानों में आवासित हैं उनका उपयुक्त प्रयासों के जरिये विसंस्थानीकरण किया जाना चाहिए ताकि समाज में पुनर्एकीकरण हो सके।
- **कार्य करके सीखने का दृष्टिकोण:** संस्थागत से गैर संस्थागत तरीके में बदलाव के दौरान बच्चों की देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित करने के सकारात्मक परिणामों के आधार पर सीख प्राप्त करनी चाहिए।
- **बाल सहभागिता:** बच्चों की देखरेख और संरक्षण हेतु कार्ययोजना के संबंध में निर्णय लेने के समय उनके विचार अवश्य ही सुने जाने चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए।

आईए, परिवार को सशक्त बनाने तथा गैर संस्थागत वैकल्पिक देखरेख के लिए बनाए गए सिद्धान्तों में से कुछ सिद्धान्तों पर विस्तार से चर्चा करें।

स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र को देखें।

प्रश्न 1: क्या देखरेख की वास्तव में आवश्यकता है?

'आवश्यकता का सिद्धान्त' औपचारिक वैकल्पिक देखरेख के लिए तथाकथित आवश्यकता को घटाता है तथा वैकल्पिक देखरेख का सहारा लेना हतोत्साहित करता है।

प्रश्न 2: क्या बच्चे के लिए देखभाल उपयुक्त है?

'उपयुक्तता का सिद्धान्त' यह सुनिश्चित करता है कि औपचारिक वैकल्पिक व्यवस्था देखरेख व्यवस्थाएं न्यूनतम मापदण्ड बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि देखरेख व्यवस्था में बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है।

आईए, वैकल्पिक देखरेख तथा इससे संबंधित उपरोक्त कुछ सिद्धान्तों पर विस्तार से चर्चा करें।

वैकल्पिक देखरेख का तात्पर्य उन सेवाओं से है जो ऐसे बच्चों के लिए उपलब्ध है जिनके माता–पिता अब पर्याप्त देखरेख करने में सक्षम नहीं हैं।

जो बच्चे माता–पिता की देखरेख से बाहर हैं वह वृहद परिवार में नातेदारों की देखरेख में रहते हैं या किसी अन्य वैकल्पिक देखरेख में जैसे दत्तक और पालक देखभाल व परिवार तथा समुदाय आधारित देखरेख के अनेक दूसरे रूपों में रहते हैं।

माता–पिता की देखरेख के बाहर रहने वाले बच्चों की स्थिति और वैकल्पिक देखभाल की व्यवस्था जो निषेधात्मक, समुदाय उन्मुख और परिवार आधारित हो, एक बढ़ती चिन्ता का विषय है।

अपर्याप्त देखरेख का वातावरण बच्चे के भावनात्मक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक असर डाल सकता है तथा बच्चे को अत्यन्त जोखिमपूर्ण स्थिति में पहुंचा सकता है। ऐसे बच्चे हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा के शिकार होने के उच्च जोखिम में होते हैं तथा इनकी खुशहाली की अपर्याप्त निगरानी की जाती है।

वृहत परिवार में नातेदारों द्वारा देखरेख या किनशिप देखरेख एक बच्चे की देखरेख की स्वाभाविक व्यवस्था है और माता–पिता की देखरेख के बाहर यह बच्चे के प्रति प्राथमिक प्रतिक्रिया है।

वृहत परिवार में अपने नातेदारों की देखरेख में, परिवार के संबंधों, सांस्कृतिक मापदण्डों और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने से अक्सर बच्चे की पहचान बच जाती है।

हालांकि सम्बन्धियों के साथ रहने पर भी बच्चों की निगरानी का अभाव हो सकता है और यह गारंटी नहीं होती कि उनकी देखरेख में बच्चा सुरक्षित ही रहेगा।

आवासीय देखरेख के तरीकों से दूर जाने का कारण काफी हद तक इस बढ़ती जागरूकता से है कि संस्थानों के कुछ विशेष लक्षणों का बच्चों, खासतौर से छोटे बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है।

कुछ संस्थान वित्तीय संभावनाओं से भी प्रेरित हो सकते हैं जो आय–व्यय की समीक्षा पर आधारित होते हैं, इससे यह प्रदर्शित होता है कि बच्चे का पुनर्वास पारिवारिक वातावरण में होना अत्यधिक प्रभावशील है और बच्चे के सर्वोत्तम हित में है।

पहरेदारी और पारिवारिक अलगाव की रोकथामः

पहरेदारी का मतलब है संस्थानों में बच्चों के आने के प्रवाह को कम करना और इसके लिए नीतियाँ, प्रक्रियाएं तथा सेवाओं का होना जरूरी है। इससे बच्चों के अपने परिवारों या वैकल्पिक परिवारों में लौटने में मदद मिलेगी।

बाल अधिकारों के सम्मेलन के अनुच्छेद 9, 18 और 19 पहरेदारी के लिए निम्न चार घटकों को बताता है:

- बच्चे की स्थिति का आंकलन का समन्वय करने के लिए एक एजेन्सी उत्तरदायी हो।
- समुदाय में परिवारों की सहायता करने की अनेक सेवाएं हों, जिनमें पालक देखरेख और दत्तक–ग्रहण भी शामिल हो, जो संस्थागत देखरेख के विकल्प हैं।
- बच्चे की परिस्थितियों और जरूरतों के आधार पर निर्णय लिया गया हो।
- निर्णयों और उनके परिणामों के अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए सूचना–तंत्र हो।

सरकारें संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) के तहत वचनबद्ध हैं कि वे माता–पिता को सहायता देंगी ताकि वे अपने बच्चों की उपयुक्त देखरेख कर सकें और इसको सुनिश्चित करने के लिए भी वचनबद्ध हैं कि बच्चों को केवल तभी माता–पिता से दूर किया जाएगा, जब यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो और इस निर्णय की नियमित समीझा होगी।

पहरेदारी की अवधारणा संसाधनों की उपलब्धता के बजाय लोगों के दृष्टिकोण और दर्शन से अधिक जुड़ा है।

यह सुनिश्चित करना एक मानक और नियमबद्ध प्रक्रिया है कि बच्चों की देखरेख की वैकल्पिक प्रक्रिया का इस्तेमाल तभी किया जाए जब, यह जरूरी हो और यह कि बच्चों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त सहायता मिले।

अगर प्रभावी तरीके से गेट कीपिंग की जाए तो इसके परिणाम निम्न होंगे:

- बच्चों को उनके परिवारों से अलग होने की रोकथाम।
- बच्चों के वैकल्पिक देखभाल के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता और जवाबदेही।
- बहु–आयामी संदर्भ में बच्चे और परिवार की स्थिति का आंकलन तथा अभिलेखीकरण।
- परिवार के सदस्यों एवं समुदाय को सहभागी बनाना और उनका सशक्तिकरण।
- नियमित समीक्षा और शिकायत तंत्र, जब भी सम्भव हो बच्चे को परिवार से जोड़ना।
- सभी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण,पहुँच योग्य एवं कम खर्चीली सेवाएं तथा ज़रूरतमंद ों के लिए लक्ष्यपरक एवं विशिष्ट सेवाएं।
- बाल केंद्रित बजट बनाना, बच्चों की खुशहाली के लिए किए जा रहे खर्च औरसामाजिक लाभ की गणना करना।
- बच्चे की स्थिति में सकारात्मक बदलाव के लिए सहायता देना।
- वैकल्पिक देखरेख में रह रहे सभी बच्चों की निगरानी करना।
- बाल कल्याण समितियों द्वारा पहरेदारी करना ताकि बच्चों के अनावश्यक संस्थानीकरण को रोका जा सके।